

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

CNR No-UPFR010022922026



आपराधिक प्रकीर्ण वाद/स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र संख्या-1101/2026

गौरव श्रीवास्तव बनाम उ.प्र.राज्य

06.06.2026

आज स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3 ए पेश हुआ। आवेदक की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर बल नहीं दिया गया और इस आशय का पृष्ठांकन स्थानान्तरण प्रार्थना के साथ समर्थित शपथ पत्र किया गया है, चूंकि आवेदक द्वारा याचित दोनों ही फाइलें सम्बन्धित न्यायालय में भेजी जा चुकी हैं, अतएव ऐसी स्थिति में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के आधार पर, इसी स्तर पर निरस्त होने योग्य है।

आदेश

आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर बल न दिये जाने के कारण, स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(नीरज कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।